Baba Baruadas PG College

Paruiya Ashram , Ambedkar Nagar U.P. 224159

Affiliated from Ram Manohar Lohia Awadh University- Ayodhya

Mob: +91- 7505693338 || Email Id: bababaruadas@gmail.com || Website : www.bbdpgcollege.org.in

प्रवेश सम्बन्धी नियम

(1) प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जाकर यू.आई.एन. नम्बर प्राप्त करना होगा । जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा रु0. 100.00 (एक सौ रु0) शुल्क निर्धारित है । इसके अतिरिक्त बैंक चार्ज / आनलाइन शुल्क देय होगा।

(2) महाविद्यालय में स्नातक प्रथम् वर्ष (कला, वाणिज्य, विज्ञान) में प्रवेश का आधार इन्टरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा होगी।

(3) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु इण्टर परीक्षा के बाद अन्तराल की अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परास्नातक (एम0 ए0 / एम0 काम0) में प्रवेश हेतु अन्तराल की अवधि एक वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

(4) परास्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश का आधार स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा होगी।

(5) प्रारम्भ में सभी प्रवेश अस्थाई (प्राविजनल) होंगे। यदि किसी प्रवेशार्थी का प्रवेश गलत तथ्यों के आधार पर या विश्वविद्यालय नियमों के विरूद्ध हो जाता है या परीक्षार्थी स्वयं भ्रामक सूचनाएं देता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(6) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में योग्यता क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की सूची सूचना पट पर चस्पा कर दी जायेगी। इस सूची के प्रकाशन तिथि के 15 दिन के भीतर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि (जो पहले हो) तक समस्त अभ्यर्थियों को शुल्क जमा करके अपना प्रवेश करा लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का प्रवेशाधिकार समाप्त हो जायेगा।

(7) प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रवेशार्थी को पूर्व परीक्षाओं की स्व प्रमाणित अंकतालिकाएं, पूर्व संस्था द्वारा प्रदत्त टी0 सी0 एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(8) पूर्व कक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी होने की दशा में व्यक्तिगत छात्रों को चरित्र प्रमाण पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त या नियमित छात्र के रूप में अन्तिम शिक्षा —संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र तथा टी0 सी0 संलग्न करना होगा।

(9) किसी अन्य विश्वविद्यालय से आने वाले अभ्यर्थी को प्रवजन—प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टीफिकेट) मूल रूप में प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

(10) आरक्षित स्थानों के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्ति का दावा करने वाले अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा

(11) ऐसे किसी अभ्यर्थी को जो किसी अपराध के लिए महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दण्डित किया गया हो अथवा जिसके विरुद्ध फौजदारी या कोई अन्य अपराधिक मुकदमा चल रहा हो, प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(12) अनुचित साधन के अन्तर्गत दोषी पाये गये अभ्यर्थी का प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशो के अन्तर्गत होगा ।

(13) अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् निरन्तर अध्ययनरत न होने की स्थिति में प्रवेशार्थी को उसके कारण का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(14) स्नातक भाग दो तथा तीन एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में प्रवेश लेने वाले छात्रों को पिछली उत्तीर्ण परीक्षा के अंकपत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

(15) ऐसे छात्र जिन्हें स्नातक भाग एक दो अथवा परास्नातक भाग एक, की परीक्षा उत्तीर्ण किये तीन वर्ष का अन्तराल हो चुका हो, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(16) प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश हेतु संस्तुत आवेदन पत्र शुल्क काउन्टर पर पहुँच जाने पर छात्र को शुल्क जमा करके रसीद प्राप्त कर लेनी होगी।

(17) छात्रवृत्ति हेतु इच्छुक छात्रों को प्रवेश के समय ही छात्रवृत्ति आवेदन पत्र पूर्ण करके जमा करना होगा।

(18) किसी भी प्रवेशार्थी को प्रवेश देने या न देने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेगा।